न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी-हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-डिक्री 247/2018
पंजीयन दिनांक 01.11.2018

(1). मुस्ताक अहमद पिता मोहम्मद गनी जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
(2). मोहम्मद फारूख पिता मोहम्मद गनी जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
(3). अल्ताफ हुसैन पिता मोहम्मद गनी जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
(4). मोहम्मद रिजवान पिता मोहम्मद गनी जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

-अपीलांट्गण

बनाम

(1). शमशुद्दीन पिता इब्राहिम जाति मुसलमान पिंजारा निवासी गादोला तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
(2). मोइनुद्दीन पिता शमशुद्दीन गोरी जाति मुसलमान पिंजारा निवासी गादोला तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
(3). सिराजुद्दीन पिता शमशुद्दीन गोरी जाति मुसलमान पिंजारा निवासी गादोला तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
(4). जुमीलुद्दीन पिता शमशुद्दीन गोरी जाति मुसलमान पिंजारा निवासी गादोला तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
(5). जेनूल आबेदीन पिता शमशुद्दीन गोरी जाति मुसलमान पिंजारा निवासी गादोला तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

(6). राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़।

-रेस्पोडेन्ट्गण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या 450/2018 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.07.2018

उपस्थित वक्त बहस-(1). छोगालाल जाट-अधिवक्ता अपीलांट्गण
(2). सरफराज अहमद- रेस्पोडेन्ट संख्या 1
(3). अबरार अहमद- रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5
(4). पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 6

निर्णय

दिनांक 27.10.2022

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 व 209 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा गादोला तहसील निम्बाहेड़ा की आराजी संख्या 502 रकबा 0.33 हैक्टेयर स्थित है। उक्त आराजीयात के गत भू-प्रबन्ध मे साबिक आराजी संख्या 611 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि दर्ज रेकॉर्ड रही। उक्त कृषि आराजीयात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी की बहिन सफिया बानो के खातेदारी मे दर्ज रही । खातेदार सफिया बानो ने अपने जीवनकाल मे अपने पूरे होश हवास मे गवाहान की उपस्थिति मे उक्त कृषि आराजीयात की लिखित वसीयत दिनांक 30.01.2001 को निष्पादित की जिसके अनुसार कृषि आराजीयात की वसीयत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी के नाम पर की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी की बहिन सफिया बानो की मृत्यु दिनांक 03.12.2016 को हो गई। वसीयतनामा पूर्णतया प्रभावी हो चुका है इसलिए वसीयतनामे के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी उक्त वादग्रस्त कृषि आराजीयात का खातेदार काश्तकार हो चुका है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 प्रतिवादीगण, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी के पुत्रगण है जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी को धमकियां दे रहे है कि वो वादग्रस्त कृषि आराजीयात पर जबरन कब्जा कर कृषि आराजीयात उनके नाम पर दर्ज करा लेंगे। मुस्लिम लॉ के अनुसार जब तक पिता जीवित है तब तक प्रतिवादी संख्या 1 से 4 पुत्रों को कोई हक अधिकार पैदा नहीं होता है। तथा मुस्लिम लॉ के अनुसार पैतृक सम्पत्ति नहीं होती है। वादग्रस्त कृषि आराजीयात पर अपनी बहिन खातेदार के निर्देशानुसार पूर्व से ही उक्त वादग्रस्त कृषि आराजीयात पर रेस्पोडेन्ट सख्या 1 वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादग्रस्त कृषि आराजीयात को वसीयतनामे अनुसार अपने खातेदारी की घोषित करा अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 6 प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराये जाने की प्रार्थना की।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 25.05.2018 को प्रस्तुत हुआ। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा उक्त वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 18.06.2018 नियत की गई तत्पश्चात आगामी तारीख पेशी दिनांक 20.06.2018 लोक अदालत हेतु नियत की गई। दिनांक 20.06.2018 को पत्रावली लोक अदालत कैम्प-कोर्ट केली मे नियत की गई, जिसमे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 प्रतिवादी उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 प्रतिवादीगण ने इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया। दिनांक 16.07.2018 को रेस्पोडेन्ट संख्या 6 का जवाब पूर्व मे प्रस्तुत हो जाना मानते हुए पत्रावली मे साक्ष्य ली जाकर पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई व उक्त पत्रावली मे बहस सुनी जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 30.07.2018 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए व पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से राजीनामे अनुसार निर्णय व डिक्री किया गया।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर खातेदार सफिया बानो के भाई गनी का स्वर्गवास हो जाने से गनी के वारिसान ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की है। अपीलांट्गण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे पक्षकार मुकदमा नहीं होने से अपीलांट्गण की ओर से अपील के साथ प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-96 जाप्ता दीवानी व अपील म्याद बाहर होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया व अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान किये जाने व अपील मे हुए विलम्ब को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया।

इस न्यायालय ने अपीलांट्गण गनी के वारिसान की ओर से अपील प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्गण वादी व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्गण वादी व प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अपील के साथ अपीलांट्गण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया गया व प्रार्थना पत्र मे अंकित किया कि विवादित कृषि आराजीयात गनी व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी ने भरण पोषण के लिए सफिया बानो को दी थी। सफिया बानो के जीवनकाल तक उक्त आराजीयात सफिया बानो के नाम दर्ज रेकॉर्ड रही। उक्त कृषि आराजीयात को लेकर अपीलांट्गण के पिता गनी व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी के

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

मध्य विवाद हुआ जिसका अलग-अलग इकरारनामे समय-समय पर निष्पादित किये गए व यह तय किया गया कि सफिया बानो के 100 वर्ष पूरे होने के पश्चात उक्त आराजीयात गनी व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी द्वारा बराबर-बराबर कर ली जावेगी। फिर भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी ने खातेदार सफिया बानो से उसकी वृद्धावस्था का नाजायज फायदा उठाते हुए अपने नाम वसीयतनामा निष्पादित करवा लिया व वसीयतनामे की आड़ मे रेस्पोडेन्टगण संख्या 2 से 5 प्रतिवादीगण जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पुत्र है के विरूद्ध वादपत्र प्रस्तुत कर इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत करा लोक अदालत मे अपीलांटगण को पक्षकार मुकदमा बनाये बगैर राजीनामा प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी के पक्ष मे निर्णय व डिक्री प्राप्त की गई है। जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से अपीलांटगण जो गनी के वारिसान है, के हित प्रभावित होते है जिससे अपीलांटगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति चाही गई।

अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जाप्ता दीवानी मे वर्णित तथ्य विश्वसनीय व स्वीकार योग्य होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जाप्ता दीवानी व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जाप्ता दीवानी के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि अपीलांटगण जो कि खातेदार सफियाबानो के भाई गनी के वारिसान है व सफिया बानो लाऔलाद होने से उसके भाई के वारिसान का भी विरासतीय अधिकार बनता है जिससे अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर अपीलांटगण जो कि सफिया बानो के भाई गनी के वारिसान है को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से प्रभावित पक्षकार होना मानते हुए अपीलांटगण को अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अपील के साथ प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की।

न्यायहित मे प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र स्वीकार किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार की जाती है।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी ने मौजा केली तहसील निम्बाहेड़ा की साबिक आराजी संख्या 611 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा जो पूर्व मे अपीलांटगण के पिता

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

नी के नाम दर्ज रेकॉर्ड थी जिसके नवीन आराजी संख्या 502 कायम हुए जो वक्त वादपत्र प्रस्तुति सफिया बानो के नाम दर्ज है। सफिया बानो को भरण पोषण के लिए उसके भाई गनी व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी के द्वारा दी गई जो पैतृक सम्पत्ति है । सफिया बानो के कोई वारिसान नहीं होने से अपीलांट्गण जो सफिया के मृतक भाई गनी के उत्तराधिकारी है, का भी हक व हिस्सा निहित है फिर भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी ने सफिया बानो की वृद्धावस्था का नाजायज फायदा उठाते हुए वसीयतनामा दिनांक 30.01.2001 को निष्पादित करवाकर गलत वादपत्र अपने पुत्रों के विरुद्ध प्रस्तुत कर अपने पुत्रों प्रतिवादीगण सख्या 1 से 4 से इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत करवा लोक अदालत मे राजीनामा तस्दीक करवाया व राजीनामे पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी के बयान लिए जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी का वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए निर्णय व डिक्री किया गया है। अपीलांट्गण जो सफिया के भाई गनी के उत्तराधिकारी है जो आवश्यक पक्षकार थे, उन्हे पक्षकार कायम किये बगैर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने जो निर्णय व डिक्री पारित की है जिसके विरुद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि विवादित कृषि आराजीयात सफिया बानो के नाम दर्ज रेकॉर्ड थी । सफिया बानो की सेवा चाकरी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 ने मिलकर की है। विवादित कृषि आराजीयात के संबंध मे खातेदार सफिया बानो ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी के पक्ष मे दिनांक 30.01.2001 को वसीयतनामा निष्पादित कर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। उसके पश्चात दिनांक 03.12.2016 को खातेदार वसीयतकर्ता सफिया बानो का स्वर्गवास हो जाने से रेस्पोडेन्ट सख्या 1 वादी ने खातेदार सफिया बानो के द्वारा नोटेरी पब्लिक से तस्दीकशुदा वसीयत के आधार पर वादपत्र प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने वादपत्र मे बयान लिए जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी का वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए डिक्री किया है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी ने मौजा केली की आराजी संख्या 502 के संबंध मे वादपत्र प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने आराजी संख्या 502 की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र निर्णय व डिक्री किया है जबकि अपीलांट्गण ने अपील मे आराजी संख्या 802 वादग्रस्त आराजीयात के रूप मे अंकित किया है जिससे अपीलांट्गण की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 6 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री तस्दीकशुदा वसीयतनामे के अनुसार इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत होकर लोक अदालत मे उभय पक्षकारान के मध्य राजीनामा प्रस्तुत हुआ है व उक्त राजीनामे पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से लिखित रूप मे प्रस्तुत हुआ है। उक्त राजीनामे पर पटवारी हल्का भू-अभिलेख निरीक्षक से रिपोर्ट ली जाकर उभय पक्षकारान के गवाह के रूप मे बयान लिए जाकर वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए निर्णय व डिक्री पारित की है परन्तु अपीलांट्गण जो कि गनी के वारिसान होकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे पक्षकार मुकदमा नही होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से प्रभावित पक्षकार नही है साथ ही राजीनामे के अनुसार अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि सम्मत होने से अपीलांट्गण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं होने से अपीलांट्गण की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया । न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी ने मृतक खातेदार सफिया बानो के खातेदारी मे दर्ज आराजी संख्या 502 के संबंध मे वादपत्र सफिया बानो की वसीयत के अनुसार घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 6 प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किए। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 6 प्रतिवादीगण ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया। उसके पश्चात दिनांक 20.06.2018 को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे वादपत्र डिक्री किये जाने का लिखित राजीनामा प्रस्तुत किया। उक्त लिखित राजीनामे के आधार पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने मौका रिपोर्ट तलब की जाकर वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व वादी के गवाहो के बयान लिए जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी का वादपत्र राजीनामे अनुसार डिक्री किया जाना पाया जाता है। विवादित पैतृक कृषि आराजीयात सफिया बानो पुत्री इब्राहिम की खातेदारी मे दर्ज रेकॉर्ड रही है। सफिया के दो भाई गनी व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी थे। विवादित पैतृक कृषि आराजीयात के साबिक आराजी संख्या 611 दर्ज रेकॉर्ड रही है जो पूर्व मे अपीलांट्गण के पिता गनी के नाम साबिक नम्बरान से दर्ज रही है व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी व गनी ने उक्त आराजीयात का बंटवाड़ा करते वक्त उक्त आराजी आपसी लिखापढ़ी से

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सफिया बानो को दी गई है। उसके पश्चात दिनांक 26.09.1998 को सभी पैतृक संपत्तियों का बंटवाड़ा करते वक्त उक्त कृषि आराजीयात को जो सफिया बानो के नाम पर दर्ज हे, दोनो पक्षकारों के आधी-आधी रहेगी की लिखा-पढ़ी हुई है जिससे अपीलांट्गण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे आवश्यक पक्षकार थे जिनको पक्षकार कायम किए बगैर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने गलत जवाबदावा व राजीनामे के आधार पर जो कि पिता-पुत्र के मध्य हुआ है, के आधार पर निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधि सम्मत नहीं होने से अपीलांट्गण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट्गण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ प्रकरण संख्या 450/2018 निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2018 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट्गण को प्रकरण मे पक्षकार मुकदमा प्रतिवादीगण कायम कर अपीलांट्गण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर अजसरे , नवनिर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 05.12.2022 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)